



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1429/अका./का.प/2023

रायपुर, दिनांक 27/02/2023

## विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'तिहत्तरवीं' बैठक सोमवार दिनांक 06.03.2023 को सायं 05.00 बजे की विषयसूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.02.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।  
(पृष्ठ क्र 01 से 07 तक)  
टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.02.2023 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।  
टीप: प्रतिवेदन संलग्न।

### वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. श्री हीराराम वर्मा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधीक्षक के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 6,14,807.00 (रुपए छः लाख चौदह हजार आठ सौ सात मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।  
टीप : 1. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक/4203/सा.प्रशा./2022 रायपुर, दिनांक 11.11.2022 के परिपालन में श्री हीराराम वर्मा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधीक्षक को पात्रतानुसार 227 दिनों के अर्जित अवकाश के समर्पण को स्वीकार कर नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।  
2. श्री हीराराम वर्मा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधीक्षक को अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रुपए 6,14,807.00 (रुपए छः लाख चौदह हजार आठ सौ सात मात्र) का भुगतान किया जाना है।  
उपर्युक्त अनुसार भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
4. श्री परदेशी राम भोई, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधीक्षक के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 6,67,288.00 (रुपए छः लाख सड़सठ हजार दो सौ अठ्यासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।  
टीप : 1. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक/852/सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 28.02.2023 के परिपालन में श्री परदेशी राम भोई, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधीक्षक को पात्रतानुसार 226 दिनों के अर्जित अवकाश के समर्पण को स्वीकार कर नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।  
2. श्री परदेशी राम भोई, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधीक्षक को अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रु. रुपए 6,67,288.00 (रुपए छः लाख सड़सठ हजार दो सौ अठ्यासी मात्र) का भुगतान किया जाना है।  
उपर्युक्त अनुसार भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

5. विश्वविद्यालय के दिवंगत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्थानीय निधि संपरीक्षा से सातवें वेतनमान का निर्धारण के उपरांत वेतन अंतर के एरियर्स रु. 10,36,519/- (रुपए दस लाख छत्तीस हजार पाँच सौ उन्नीस मात्र) भुगतान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप: 1. छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, के पत्र क्रमांक एफ 5-1/2021/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06.10.2021 तथा वित्त विभाग के निर्देश 33/2021 पत्र क्रमांक 1365/एफ-01002199/एल-11-2/ब-4/चार अटल नगर दिनांक 17.12.2021 के अनुसार तथा माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2022 के अनुमोदन उपरांत सामान्य प्रशासन के आदेश क्रमांक 2243/सा.प्रशा./2022 दिनांक 07.06.2022 के अनुसार विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के माह जनवरी-2016 से अगस्त-2017 तथा जुलाई-2018 से अगस्त-2018 तथा सितंबर-2017 से जनवरी-2018 के एरियर्स का भुगतान किया जाना है। तदनुसार दिवंगत एवं सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें पूर्व में एरियर्स की राशि का भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें देय तिथि से गणनानुसार एरियर्स का भुगतान किया जाना है।

2. विश्वविद्यालय के दिवंगत एवं सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को भुगतान जनवरी-2016 से अगस्त-2017 तथा जुलाई-2018 से अगस्त-2018 एवं सितंबर-2017 से जनवरी-2018 का भुगतान किया जाना है।

3. कुल एरियर्स की राशि आयकर सहित कुल राशि रु. 10,36,519/- (रुपए दस लाख छत्तीस हजार पाँच सौ उन्नीस मात्र) भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

6. वित्तीय सत्र 2021-22 हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति के लिए चयनित शोधार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की अवधि के संबंध में विचार करना।

#### विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. कंप्यूटर अध्ययनशाला के लिए 08 नग कम्प्यूटर एवं 08 यूपीएस क्रय हेतु रु. 8,10,776=00 (रुपए आठ लाख दस हजार सात सौ छिहत्तर मात्र) की कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप: कंप्यूटर अध्ययनशाला के लैब के लिए 08 नग कम्प्यूटर एवं 08 यूपीएस क्रय हेतु CSIDC Rate Contract में अनुबंधित फर्म M/s Sai Info Services, No.-14, Shiv Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) के नाम से पत्र क्रं. 196/विकास/2023 रायपुर, दिनांक 27/02/2023 के द्वारा आदेश जारी किया गया है। 08 नग कम्प्यूटर एवं 08 यूपीएस क्रय करने पर Rs. 8,10,776.00 (रुपए आठ लाख दस हजार सात सौ छिहत्तर मात्र) व्यय होगा।

अतः उपर्युक्त अनुसार क्रय की कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

8. कला भवन सेमीनार हॉल एवं डॉ. सी.वी. रमन सेमीनार हॉल ऑडिटोरियम चेयर क्रय देयक रु. 31,52,827=00 (रुपए इकतीस लाख बावन हजार आठ सौ सत्ताइस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप: कला भवन सेमीनार हॉल एवं डॉ. सी.वी. रमन सेमीनार हॉल के लिए 226 नग Auditorium Chair क्रय करने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.11.2022 के विषय क्रमांक 06 में प्रदान की गई है।

कला भवन सेमीनार हॉल एवं डॉ. सी.वी.रमन सेमीनार हॉल के लिए CSIDC के माध्यम से 226 नग Auditorium Chair क्रय हेतु Maks Enterprises, Opp. Amar Complex, Pandri, Raipur (C.G.) को क्रय स्वीकृति आदेश क्र. 03/विकास/2023 रायपुर, दिनांक 03/01/2023 जारी कर CSIDC (Order No. 323010300022) वेबसाईट में अपलोड कर आदेशित किया गया था।

उक्त फर्म द्वारा कला भवन सेमीनार हॉल में 121 नग एवं डॉ. सी.वी.रमन सेमीनार हॉल 105 नग Auditorium Chair आपूर्ति कर इंस्टालेशन करने के पश्चात् देयक क्रं. ME/2022-23/15 दिनांक 14/02/2023 रु. 31,52,827=00 (रुपए इकतीस लाख बावन हजार आठ सौ सत्ताइस मात्र) भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतः संबंधित फर्म की ओर से प्रस्तुत देयक रु. 31,52,827=00 (रुपए इकतीस लाख बावन हजार आठ सौ सत्ताइस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

9. रसायन अध्ययनशाला के लिए 15 नग कंप्यूटर, 15 यूपीएस क्रय हेतु रु. 11,96,216=00 (रुपए ग्यारह लाख छियानबे हजार दो सौ सोलह मात्र) की कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीपः रसायन अध्ययनशाला के लैब के लिए 15 नग कंप्यूटर, 15 यूपीएस एवं 01 नग प्रिंटर क्रय हेतु CSIDC Rate Contract में अनुबंधित फर्म M/s Sai Info Services, No.-14, Shiv Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) के नाम से पत्र क्रं. 194/विकास/2023 रायपुर, दिनांक 27/02/2023 के द्वारा आदेश जारी किया गया है। 15 नग कम्प्यूटर, यूपीएस एवं 01 नग प्रिंटर क्रय करने पर Rs. 11,96,216.00 (रुपए ग्यारह लाख छियानबे हजार दो सौ सोलह मात्र) व्यय होगा।

अतः उपर्युक्त अनुसार क्रय की कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

### गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-


10. वार्षिक परीक्षा 2023, केंद्रीय मूल्यांकन इकाई/नोडल मूल्यांकन केंद्रों को संचालन एवं लगभग 12,54,871 उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए अनुमानित राशि रुपए 1,95,68,265/- (रुपए एक करोड़ पंच्यानबे लाख अड़सठ हजार दो सौ पैसठ मात्र) अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीपः वार्षिक परीक्षा 2023, 01 मार्च 2023 से प्रारंभ होने जा रही है। वार्षिक परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं को 09 केंद्रीय मूल्यांकन इकाई/नोडल मूल्यांकन केंद्रों के माध्यम से मूल्यांकन कराया जाना है। वार्षिक परीक्षाएँ लगभग 85 दिनों तक संचालित होंगी। केंद्रीय मूल्यांकन इकाई/नोडल मूल्यांकन केंद्रों के संचालन एवं लगभग 12,54,871 उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में रुपए 1,95,68,265/- (रुपए एक करोड़ पंच्यानबे लाख अड़सठ हजार दो सौ पैसठ मात्र) अनुमानित व्यय होने की संभावना है।

अतएव केंद्रीय मूल्यांकन इकाई/नोडल मूल्यांकन केंद्रों को सुचारु संचालन एवं मूल्यांकन हेतु उपर्युक्त राशि में से आवश्यकतानुसार राशि अग्रिम के रूप में प्रदान किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।


11. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

आदेशानुसार,

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।



उप-कुलसचिव (अका.)



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1321/अका./का.प/2023

रायपुर, दिनांक 17/02/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'बहत्तरवीं' बैठक शुक्रवार दिनांक 17.02.2023 को अपराह्न 03:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

डॉ. केशरी लाल वर्मा, कुलपति –अध्यक्ष

- |                            |         |                               |         |
|----------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 1. डॉ. व्यास दुबे          | – सदस्य | 5. डॉ. एम.एल. नायक            | – सदस्य |
| 2. डॉ. के.एन. शर्मा        | – सदस्य | 6. श्री सोनाऊ राम नेताम       | – सदस्य |
| 3. डॉ. ममता शर्मा          | – सदस्य | 7. श्री सत्यनारायण शर्मा      | – सदस्य |
| 4. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट | – सदस्य | 8. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह | – सदस्य |

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, प्रभारी कुलसचिव –सचिव

## कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.01.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.01.2023 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. डॉ. एच.डी. दीवान, तकनीकी अधिकारी, भू-विज्ञान अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 13,00,885.00 (रुपए तेरह लाख आठ सौ पच्चासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

4. श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधीक्षक, परीक्षा विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 8,58,586.00 (रुपए आठ लाख अठावन हजार पाँच सौ छियासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. अवकाश नियमों के विपरीत आदेश तथा एक ही तथ्य के लिए तीन दण्ड से दंडित करने विषयक अपील अभ्यावेदन- डॉ. जी.के. देशमुख, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान के संबंध में विचार करना।

निर्णय: डॉ. जी.के. देशमुख के अपील आवेदन को राजभवन के पत्र क्रमांक 8989/7525/2016/रास/यू-1 दिनांक 20.12.2022 एवं पत्र क्रमांक 842/7525/2016 /रास/यू-1 दिनांक 31.01.2023 द्वारा विधिक सलाहकार के अभिमत एवं परीक्षणोपरांत अधिरोपित दंड सेवाभंग काल दिनांक 03.11.2007 से 07.05.2008 एवं दो वेतनवृद्धि रोकने के दंड को अपास्त किए जाने योग्य माना है। तदनुसार प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय को समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया तथा डॉ. देशमुख के अवकाश के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासनिक निर्णय लिए जाने का निर्णय लिया गया।

6. डॉ. एस.एस. अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी की अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि (62 से 65 वर्ष करने) के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 3-38/2022/38-2 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक 10.01.2023 का पालन किए जाने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय में संचालित चिकित्सा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार संविदा/समुचित वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का निर्णय लिया गया।

#### कंप्यूटर साइंस अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. फर्म IT Application, No. 53, Block 04, Akash Nagar, Avanti Vihar, Raipur के द्वारा फायरवॉल डिवाइस क्रय पश्चात् प्रस्तुत देयक राशि रु. 27,84,029=00 (रुपए सत्ताईस लाख चौरासी हजार उनतीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

#### गणित अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. गणित अध्ययनशाला के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री अपलेखन के लिए विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

#### भू-विज्ञान अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. भू-विज्ञान अध्ययनशाला के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री अपलेखन के लिए विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

#### भौतिकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. भौतिकी अध्ययनशाला के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री अपलेखन के लिए विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

#### बायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. बायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री अपलेखन के लिए विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

#### यूसिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. यूसिक विभाग के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री अपलेखन के लिए विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

### जैविकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. जैविकी अध्ययनशाला के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री अपलेखन के लिए विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

### पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

14. पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री अपलेखन के लिए विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

15. पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति के सदस्य की नियुक्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति में कार्यपरिषद् श्रेणी से दो नाम के मनोनयन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

### गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2022-23 हेतु अनुचित साधन (UFM) निराकरण समिति के गठन पर विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 अध्यादेश क्रमांक 5 की धारा 20 की उपधारा 6 के अनुसार अनुचित साधन (UFM) निराकरण समिति में डॉ. व्यास दुबे, सदस्य कार्यपरिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम का अनुमोदन किया गया।

### अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. शांतिनिकेतन महाविद्यालय, चंगोराभाटा, रायपुर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।

निर्णय : शांतिनिकेतन महाविद्यालय, चंगोराभाटा, रायपुर के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित डॉ. देवहुति तिवारी (Dr. Devhuti Tiwari) के नाम का अनुमोदन किया गया।

18. श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, रायपुर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।

निर्णय : श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, रायपुर के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित डॉ. मनोज शर्मा (Dr. Manoj Sharma) के नाम का अनुमोदन किया गया।

19. विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जी.ई. रोड, रायपुर में विभागाध्यक्ष शिक्षा की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।

निर्णय : विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जी.ई. रोड, रायपुर के विभागाध्यक्ष शिक्षा पद के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित डॉ. दिव्या शर्मा (Dr. Divya Sharma) के नाम का अनुमोदन किया गया।



20. पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, रायपुर को शिक्षा विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, रायपुर को शिक्षा विषय में अस्थाई रूप से तीन वर्ष के लिए शोध केंद्र की मान्यता प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।
21. ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, जिला-रायपुर को शिक्षा विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, जिला-रायपुर को शिक्षा विषय में अस्थाई रूप से तीन वर्ष के लिए शोध केंद्र की मान्यता प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।
22. संत गुरु घासीदास शास. महाविद्यालय, कुरुद को हिंदी विषय में अस्थाई शोध केंद्र की मान्यता के स्थान पर स्थाई शोध केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: संत गुरु घासीदास शास. महाविद्यालय, कुरुद को हिंदी विषय में अस्थाई शोध केंद्र की मान्यता को शोध उपाधि समिति की संस्तुति के आधार पर स्थाई शोध केंद्र की मान्यता प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।

#### यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

23. सिविल, जलप्रदाय, सेनेटरी एवं विद्युतीय मरम्मत कार्यों हेतु कार्य अनुबंध की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।  
निर्णय: सिविल, जलप्रदाय, सेनेटरी एवं विद्युतीय मरम्मत कार्यों हेतु निम्नानुसार कार्य अनुबंध को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई -

क्र.	कार्य का नाम	न्यूनतम निविदाकर का नाम	निविदा दर	अनुबंध राशि
01	सिविल मरम्मत	द वेदर मेन, 31/98, पेंशन बाड़ा, रायपुर	@18% (अठारह प्रतिशत) एस.ओ.आर. से कम	रु. 20,50,000/-
02	जलप्रदाय मरम्मत	श्री ट्रेडर्स, मेन रोड, अमीनपारा, पुरानी बस्ती, रायपुर	@27.60% (सत्ताईस दशमलव छः शुन्य प्रतिशत) एस.ओ.आर. से कम	रु. 18,10,000/-
03	सेनेटरी मरम्मत	स्वास्तिक ट्रेडर्स, शाप नं. -4, दीनदयाल आवासीय काम्प्लेक्स, रायपुर	@18.25% (अठारह दशमलव दो पाँच प्रतिशत) एस.ओ.आर. से कम	रु. 20,43,750/-
04	विद्युतीय मरम्मत	प्रमोद कुमार कौशल, 212, सुन्दर नगर, रायपुर	@39.99% (उनचालिस दशमलव नौ नौ प्रतिशत) एस.ओ.आर. से कम	रु. 15,00,250/-

#### पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16.02.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।  
निर्णय: अनुमोदन किया गया।





## वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. स्व. श्री निर्मल कुमार अग्रवाल, कनिष्ठ अधीक्षक, परीक्षा विभाग का आकस्मिक निधन पश्चात् सी. पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 5,96,304.00 (रुपए पाँच लाख छियानबे हजार तीन सौ चार मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

3. विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के वेतन अंतर के 5वीं किश्त के एरियर्स राशि भुगतान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 29/2022 पत्र क्रमांक 2135/एफ- 01002199/एल-11-2/ब-4/चार अटल नगर, दिनांक 04.11.2022 के अनुसार -

- (1) विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के पाँचवे किश्त के एरियर्स की राशि माह सितम्बर-2018 तक कुल 05 माह का एरियर्स।
- (2) विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को सितंबर 2017 से जनवरी 2018 तक का एरियर्स।
- (3) उपर्युक्त अनुसार कुल राशि रुपए 7,47,791=00 (रुपए सात लाख सैंतालीस हजार सात सौ इंक्यानबे मात्र) भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति वित्तीय सत्र 2022-23 हेतु छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन हेतु संकायाध्यक्षों में से तीन सदस्य के मनोनयन पर विचार करना।

निर्णय: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति वित्तीय सत्र 2022-23 हेतु छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन हेतु निम्नानुसार तीन संकायाध्यक्षों का मनोनयन किया गया :-

- (1) डॉ. व्यास दुबे, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय
- (2) डॉ. शैल शर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय
- (3) डॉ. आर.के. ब्रह्मे, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय

5. डॉ. एच.डी. दीवान, सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारी, भू-विज्ञान अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 15,51,312.00 (रुपए पंद्रह लाख इंक्यावन हजार तीन सौ बारह मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

6. तकनीकी अधिकारियों डॉ. सी.आर. रात्रे, डॉ. रोमन सिंह केराम, डॉ. सुजीत कुमार को तृतीय समयमान के एरियर्स राशि रु. 18,73,602/- (रुपए अठारह लाख तिहत्तर हजार छः सौ दो मात्र) का कटौती सहित किए गए भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

7. विश्वविद्यालय से संबद्ध 79 महाविद्यालयों को वार्षिक परीक्षा 2022-23 के संचालन हेतु भेजे जाने वाले अग्रिम राशि रु. 84,35,000=00 (रुपए चौरासी लाख पैंतीस हजार मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।



### अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. के.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, रायपुर में विभागाध्यक्ष शिक्षा की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।

निर्णय : के.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, रायपुर के विभागाध्यक्ष शिक्षा पद के लिए चयन समिति द्वारा प्रदत्त सूची में प्रथम डॉ. सीमा अग्रवाल (Dr. Seema Agrawal) के नाम का अनुमोदन किया गया।

### पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. पुस्तकों (Print) के क्रयार्थ प्राप्त दर के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार फर्म Arvind Publication, Udaipur से भारतीय प्रकाशन की पुस्तकें 32.56% छूट दर पर एवं Techniz Books International, New Delhi, से विदेशी प्रकाशन की पुस्तकें 46.35% छूट दर पर क्रय किए जाने का अनुमोदन किया गया।

### गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा पूर्व कार्य 2022-23 देयक राशि रु. 2,35,78,418=00 (रुपए दो करोड़ पैंतीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ अट्ठारह मात्र) का पुनर्विनियोजन कर भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय: वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा पूर्व कार्य 2022-23 के लिए अनुबंधित फर्म National Co-Operative Consumers Fed. of India Ltd. Ministry of Consumer Affairs, Govt. of India) Adarsh Nagar, Kanke Road, Ranchi को देयक राशि रु. 2,35,78,418=00 (रुपए दो करोड़ पैंतीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ अट्ठारह मात्र) का पुनर्विनियोजन कर भुगतान स्वीकृति प्रदान की गई।

### अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

#### आई.क्यू.ए.सी. सेल से प्राप्त प्रस्ताव :-

1. विश्वविद्यालय के NAAC के Fourth Cycle के आकलन और प्रत्यायन की प्रक्रिया हेतु द्वितीय किश्त एवं लॉजिस्टिक फीस कुल राशि 767000.00 (रुपए सात लाख सड़सठ हजार मात्र) ऑनलाईन पोर्टल पर नैक में जमा किए जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय के NAAC के Fourth Cycle के आकलन और प्रत्यायन की प्रक्रिया हेतु द्वितीय किश्त एवं लॉजिस्टिक फीस कुल राशि 767000.00 (रुपए सात लाख सड़सठ हजार मात्र) ऑनलाईन पोर्टल पर नैक में दिनांक 17.02.2023 को जमा किए जाने की सूचना ग्रहण की गई।

#### जैविकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. जैविकी अध्ययनशाला को आबंटित बजट में Equipment मद में प्रावधनित राशि रु. 8.00 लाख में से 4,76,000.00 मूल्य का MW 8 Active Watch device and Accessories क्रय करने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।


निर्णय: प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। सामग्री प्रोप्राइटरी आइटम खरीदे जाने हेतु औचित्य सहित प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।


## अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के एम.एस-सी. अंतिम भू-विज्ञान की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सत्र 2023-24 से 'उमेशीला स्वर्ण-पदक' प्रदान करने हेतु नवीन विनियम का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णय: दानदाता प्रोफेसर उमेश चंद्र सिंह, 404, मिलेनियम प्लाजा, यूनिवर्सिटी रोड, गोविंदपुरी, ग्वालियर - 474011 द्वारा 'उमेशीला स्वर्ण-पदक' (UMESHEELA GOLD MEDAL) के नाम से सत्र 2023-24 से एम.एस-सी. अंतिम भू-विज्ञान की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्ण-पदक प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तावित विनियम क्रमांक-202 का विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.02.2023 में की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष


  
प्रभारी कुलसचिव  
सचिव

पृ.क्रमांक : 1322 / अका./ का.प/2023

रायपुर, दिनांक 17/02/2023

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप-कुलसचिव (अका.)



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

## विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'तिहत्तरवीं' बैठक सोमवार दिनांक 06.03.2023 को सायं 05.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 06.03.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना। (पृ. क्र. 01 से 04 तक)

टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

### विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. 04 महिला छात्रावास के लिए 12 नग कंप्यूटर एवं 12 यूपीएस क्रय हेतु रु. 9,44,997=00 (रुपए नौ लाख चौवालिस हजार नौ सौ संत्यानबे मात्र) की कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : 04 महिला छात्रावास के लिए 12 नग कंप्यूटर एवं यूपीएस 12 नग क्रय हेतु CSIDC Rate Contract में अनुबंधित फर्म M/s. Sai Info Sercices, House No.-14, Phase-1, Shiva Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) के नाम से पत्र क्र. 204/विकास/2023 रायपुर, दिनांक 27.02.2023 के द्वारा आदेश जारी किया गया है। 12 नग कंप्यूटर एवं यूपीएस 12 नग क्रय करने पर रु. 9,44,997=00 (रुपए नौ लाख चौवालिस हजार नौ सौ संत्यानबे मात्र) व्यय होगा।

अतः उपर्युक्त अनुसार क्रय की कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

3. स्मार्ट बोर्ड क्रय हेतु अनुबंधित फर्म, IT Applications, No. 53, Block 04, Akash Nagar, Avanti Vihar, Raipur (C.G.) के द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रु. 97,93,410=00 (रुपए संत्यानबे लाख तिरानबे हजार चार सौ दस मात्र) के भुगतान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2022 के पूरक विषय सूची क्रमांक 14 में स्मार्ट बोर्ड क्रय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं के लिए CSIDC के माध्यम से 25 नग स्मार्ट बोर्ड क्रय हेतु IT Applications, No. 53, Block 04, Akash Nagar, Avanti Vihar, Raipur (C.G.) को क्रय आदेश क्र. 98/विकास/2023 रायपुर, दिनांक 25.01.2023 जारी कर CSIDC (Order No. 323012600003) वेबसाईट में अपलोड कर आदेशित किया गया था।

उक्त फर्म द्वारा स्मार्ट बोर्ड आपूर्ति कर इंस्टालेशन का कार्य किया जा रहा है। उक्त फर्म द्वारा देयक क्र. 286 दिनांक 22.02.2023 के द्वारा रु. 97,93,410=00 (रुपए संत्यानबे लाख तिरानबे हजार चार सौ दस मात्र) भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतः संबंधित फर्म को C-VI-Other S.o.S. 7(ii) Expansion of Existing RSU-CAN/Edusat/Smart Class (Smart Board) मद से भुगतान करने के लिए रु. 97,93,410=00 (रुपए संत्यानबे लाख तिरानबे हजार चार सौ दस मात्र) की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

4. **University Examination-Results Automation कार्य हेतु विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप संलग्न है।

(पृ. क्रमांक- 05 से 07 तक)

5. **विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के लिए LED Wall Screen क्रय हेतु रु. 1,10,60,296=00 (रुपए एक करोड़ दस लाख साठ हजार दो सौ छियानबे मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के लिए LED Wall Screen क्रय किया जाना है। विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03/06/2022 के अन्य प्रकरण क्रमांक 02 पर अनुमानित राशि रु. 1,50,00,000.00 (एक करोड़ पचास लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के लिए LED Wall Screen क्रय हेतु निविदा सूचना क्र. 93/विकास/2023 रायपुर, दिनांक 23/01/2023 समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था।

निर्धारित तिथि दिनांक 24/02/2023 अपरान्ह 03:00 बजे तक निम्नलिखित फर्मों द्वारा सीलबंद लिफाफा में निविदा प्रस्तुत किया गया—

1. GS Enterprises, CGHB Colony, Cedar 11/43, Opp. Sadani Darbar, Boriyakala, Raipur
2. Communication System, Shop No.21, Block-1, Commercial Complex, CGHB Colony, Boriyakala, Opp. Sadani Darbar, Raipur (C.G.)
3. Sai Info Services, Shiva Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.)
4. IT Applications, No.53, Block-4, Avanti Vihar, Raipur (C.G.)

टेक्निकल बीड में IT Applications, Raipur को अमान्य किया गया। उपरोक्त कण्डिका क्र. 1 से 3 तक को टेक्निकल बीड में योग्य पाया गया एवं फर्मों का फायनेंसियल बीड खोला गया। तुलनात्मक तालिका निम्नानुसार है —

S.No.	Description	GS Enterprises, Raipur	Communication System, Raipur	Sai Info Services, Raipur
		Rate	Rate	Rate
1	Supply Installation and Commissioning of Active LED Wall Screen (With all necessary Accessories)	₹ 86,40,856.00	₹ 98,89,500.00	₹ 1,10,76,240.00
	<b>GST@28%</b>	<b>₹ 24,19,440.00</b>	<b>₹ 27,69,060.00</b>	<b>₹ 31,01,347.00</b>
	<b>Total</b>	<b>₹ 1,10,60,296.00</b>	<b>₹ 1,26,58,560.00</b>	<b>₹ 1,41,77,587.00</b>

जिसमें GS Enterprises, Raipur का दर रु. 1,10,60,296.00 (एक करोड़ दस लाख साठ हजार दो सौ छियानबे) न्यूनतम है।

GS Enterprises, Raipur को क्रय आदेश जारी किया जाना है। जिसका भुगतान B-Engineering Unit कंडिका-14 में Central Modular Kitchen मद से किया जाना है।

अतः उक्त सामग्री क्रय करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

6. विश्वविद्यालय के फार्मसी संस्थान में मॉड्यूलर लैब निर्माण के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.01.2023 पूरक विषय क्र. 23 में विश्वविद्यालय के फार्मसी संस्थान में 07 मॉड्यूलर लैब निर्माण किए जाने हेतु निविदा के माध्यम से कार्य किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

विश्वविद्यालय द्वारा निविदा सूचना क्र. 54/विकास/निसू./2023 रायपुर, दिनांक 16.01.2023 जारी किया एवं 30 दिवस का समय दिया गया। उक्त निविदा में 07 फर्मों द्वारा निविदा प्रस्तुत किया गया, जिसमें टेक्निकल बीड में 02 फर्मों द्वारा अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण अयोग्य किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है -

1. Kendriya Bhandar, Devendra nagar, Raipur (C.G.)
2. Rudra Constructions, 43/767, Maharana Pratap Garden Road, Shyam Nagar, Raipur (C.G.)

निम्नलिखित फर्मों को टेक्निकल बीड में योग्य पाए जाने के पश्चात् फायनेंसियल बीड को खोला गया :-

1. Unique India Company, Shop No. 13, pagariya Complex, pandri, Raipur (C.G.)
2. Creative Design, 301 & 302, National Corporate park, Opp. Maruti Business Park, G.E. Road Raipur (C.G.)
3. Wood world Furniture, nal Ghar Chowk, Raipur (C.G.)
4. Hitendra Enterprises, C/36, Sec-1, Shankar Nagar, Raipur (C.G.)

फायनेंसियल बीड में Hitendra Enterprises, C/36, Sec-1, Shankar Nagar, Raipur (C.G.) का दर Rs. 39,29,400.00 (रुपए उनतालिस लाख उनतीस हजार चार सौ मात्र) व्यय होगा को न्यूनतम दर प्रस्तुत करने के कारण समिति द्वारा उक्त फर्म से कार्य लिए जाने हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतः फार्मसी संस्थान में 07 मॉड्यूलर लैब निर्माण किए जाने पर Rs. 39,29,400.00 (रुपए उनतालीस लाख उनतीस हजार चार सौ मात्र) व्यय होगा। अतः उपर्युक्त कार्य कराए जाने के लिए माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

7. ऑडिटरियम चैयर क्रय हेतु अनुबंधित फर्म M/s. Methodex Systems Private Limited, DS-5, Ashoka Milleneum Ring Road, No. 1, Raipur (C.G.) द्वारा प्रस्तुत कुल देयक रु. 73,93,799.00 (रुपए तिहत्तर लाख तिरानबे हजार सात सौ निन्यानबे मात्र) का 25 प्रतिशत राशि रु. 18,48,450.00 (रुपए अट्ठारह लाख अड़तालीस हजार चार सौ पचास मात्र) रोककर 75 प्रतिशत राशि रु. 55,45,349.00 (रुपए पचपन लाख पैतालिस हजार तीन सौ उनचालीस मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2022 के पूरक विषय सूची क्रमांक 13 में पं. रविशंकर शुक्ल प्रेक्षागृह के लिए ऑडिटरियम चैयर क्रय हेतु रु. 73,93,799.00 (रुपए तिहत्तर लाख तिरानबे हजार सात सौ निन्यानबे मात्र) की स्वीकृति प्राप्त है।

डीपीसी/सीपीस एवं गठित समिति के द्वारा अनुशंसा करने उपरांत सीएसआईडीसी के द्वारा निर्धारित दर पर अनुबंधित फर्म M/s. Methodex Systems Private Limited, DS-5, Ashoka Milleneum Ring Road, No. 1, Raipur (C.G.) को पत्र क्र. 636/विकास/दिनांक 08.12.2022 के द्वारा आदेशित किया गया था।

उक्त फर्म के द्वारा सामग्री प्रेक्षागृह में आपूर्ति किया गया है। कारपेट लगाने का कार्य नहीं होने के कारण चैयर इंस्टालेशन का कार्य नहीं किया गया है। संबंधित फर्म के द्वारा निम्नानुसार देयक प्रस्तुत किया गया है :-

- 1/ 400 नग चेयर क्रय देयक क्रमांक IN/RS/23/6345 Date 31-01-23 के द्वारा रु. 55,46,944.00 (रुपए पचपन लाख छियालिस हजार नौ सौ चौवालीस मात्र)।
- 2/ 130 नग चेयर हेतु देयक क्रमांक IN/RS/23/6368 Date 07-02-23 के द्वारा रु. 18,46,855.00 (रुपए अट्टारह लाख छियालीस हजार आठ सौ पचपन मात्र)।

इस प्रकार संबंधित फर्म को 73,93,799.00 (रुपए तिहत्तर लाख तिरानबे हजार सात सौ निन्यानबे मात्र) का भुगतान किया जाना है। संबंधित फर्म के द्वारा तीन प्रतिशत अमानत राशि रु. 2,21,814=00 (रुपए दो लाख इक्कीस हजार आठ सौ चौदह मात्र) विश्वविद्यालय कोष में जमा किया गया है।

संबंधित फर्म के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर कुल देयक का 75 प्रतिशत राशि भुगतान करने एवं 25 प्रतिशत राशि इंस्टालेशन के पश्चात् भुगतान करने का निवेदन किया गया है। अतः संबंधित फर्म को कुल देयक का 25 प्रतिशत राशि रु. 18,48,450.00 (रुपए अट्टारह लाख अड़तालीस हजार चार सौ पचास मात्र) रोककर 75 प्रतिशत राशि रु. 55,45,349.00 (रुपए पचपन लाख पैतालिस हजार तीन सौ उनचालीस मात्र) भुगतान करने हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

### यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. विश्वविद्यालय परिसर के 12 भवनों के बाह्य पोताई कार्य हेतु अनुबंधित ठेकेदार मेसर्स संस्कृति इंफ्रा, रायपुरा, रायपुर द्वारा प्रस्तुत द्वितीय चल देयक राशि रु. 22,76,791=00 (रुपए बाईस लाख छिहत्तर हजार सात सौ इंक्यानबे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.08.2021 के विषय सूची क्रमांक 12 में परिसर के 12 भवनों के बाह्य पोताई की राशि रु. 71,63,227.00 (रुपए इकहत्तर लाख तिरसठ हजार दो सौ सत्ताईस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.11.2022 विषय क्रमांक 9 में अनुबंधित फर्म को प्रथम चल देयक भुगतान की राशि 18,08,334.00 (अठारह लाख आठ हजार तीन सौ चौतीस मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई थी। अनुबंधित ठेकेदार मेसर्स संस्कृति इंफ्रा, रायपुरा, रायपुर द्वारा किए गए कार्य का द्वितीय चल देयक भुगतान राशि रु. 22,77,341/- (रुपए बाईस लाख सतहत्तर लाख तीन सौ इकचालीस मात्र) का निम्नानुसार कटौती उपरांत किया जाना प्रस्तावित है -

आयकर कटौती 2 प्रतिशत	45550 /-
पानी चार्ज	500 /-
सकल भुगतान योग्य राशि	22,31,291 /-

निम्नानुसार भुगतान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है -

- (1) मेसर्स संस्कृति इंफ्रा रायपुरा, रायपुर - रु. 22,31,291 /-

- (2) आयकर जमा - रु. 45,530 /-

कुल - 22,76,791 /-

उपर्युक्त अनुसार कुल राशि रु. 22,76,791=00 (रुपए बाईस लाख छिहत्तर हजार सात सौ इंक्यानबे मात्र) की भुगतान की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

9. विश्वविद्यालय परिसर के बाऊंड़ीवाल के बाह्य पोताई कार्य हेतु अनुबंधित ठेकेदार मेसर्स संस्कृति इंफ्रा, रायपुरा, रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रथम चल देयक राशि रु. 7,14,287=00 (रुपए सात लाख चौदह हजार दो सौ सत्यासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.08.2022 के विषय सूची क्रमांक 20 में परिसर के बाऊंड़ीवाल के बाह्य पोताई की राशि रु. 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासकीय (कार्योत्तर) एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। अनुबंधित ठेकेदार मेसर्स संस्कृति इंफ्रा, रायपुरा, रायपुर द्वारा किए गए कार्य का प्रथम चल देयक भुगतान राशि रु. 7,52,091/- (रुपए सात लाख बावन हजार इंक्यानबे मात्र) का निम्नानुसार कटौती उपरांत किया जाना प्रस्तावित है -

आयकर कटौती 2 प्रतिशत	15050 /-
सुरक्षा निधि कटौती 5 प्रतिशत	37604
पानी चार्ज	200 /-
सकल भुगतान योग्य राशि	6,99,237 /-

निम्नानुसार भुगतान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है -

- (1) मेसर्स संस्कृति इंफ्रा रायपुरा, रायपुर - रु. 6,99,237 /-
- (2) आयकर जमा - रु. 15,050 /-
- कुल - 7,14,287 /-

उपर्युक्त अनुसार कुल राशि रु. 7,14,287=00 (रुपए सात लाख चौदह हजार दो सौ सत्यासी मात्र) की भुगतान की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

### अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को राजनीति विज्ञान विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

टीप : राजनीति विज्ञान विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 03.03.2023 के निर्णयानुसार शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को राजनीति विज्ञान विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। संशोधित विनियम क्रमांक-107 की कंडिका-08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

11. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

4/8/23  
6/8/23  
कुलसचिव





# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

क्रमांक : 1491/अका./वि.प.स्थायी समिति/2023

रायपुर, दिनांक 06/03/2023

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 06.03.2023 को मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

1. प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति	--	अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा	--	सदस्य
3. डॉ. आर.के. ब्रह्मे	--	सदस्य
4. डॉ. व्यास दुबे	--	सदस्य
5. डॉ. मधुलिका अग्रवाल	--	सदस्य
6. डॉ. राजीव चौधरी	--	सदस्य
7. डॉ. (श्रीमती) अभया आर. जोगलेकर	--	सदस्य
8. डॉ. संजय जे. डहरवाल	--	सदस्य
9. डॉ. संजय कुमार	--	सदस्य
10. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	--	सदस्य
11. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे	--	सदस्य
12. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव (प्रभारी)	--	सचिव

## कार्यवृत्त

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.02.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(i)	दाऊ कल्याण सिंह सोनवानी महाविद्यालय, जी-जामगांव, जिला-धमतरी	B.Com.-III year	40	2022-23
		M.A. Hindi - III & IV Semester	20	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। इंडोमेंट फंड के संबंध में महाविद्यालय को पत्र प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(ii)	शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महा. रायपुर	B.A.-I- (Optional Subject)		2022-23
		Law	60	
		Maths	60	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

## स्थायी संबद्धता

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार स्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या
i	फणिकेश्वर नाथ शासकीय महाविद्यालय, फिंगेश्वर जिला-गरियाबंद	बी.ए. - आ.पा., समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल	128
		बी.एस-सी.- आ.पा., वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र	123
		बी.एस-सी.- गणित, भौतिक	60
		बी.काम. सभी अनिवार्य विषय	60
		एम.एस-सी. रसायनशास्त्र	33
		एम.ए. भूगोल	40
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर स्थायी संबद्धता प्रदान की जाती है।			

04. निम्नलिखित संकायांतर्गत अध्ययन मण्डल की बैठकों के कार्यवृत्त की अनुशंसा करना -

क्रमांक	अध्ययन मण्डल	बैठक की तिथि
[1]	विज्ञान संकाय -	
1	भौतिकी	- 16.01.2023
2	रसायन	- 16.01.2023, 31.01.2023
3	इलेक्ट्रॉनिक्स	- 16.01.2023
4	गणित	- 16.01.2023
5	सांख्यिकी	- 23.01.2023
6	भू-विज्ञान	- 20.02.2023
[2]	जीव विज्ञान संकाय -	
7	बायोटेक्नोलॉजी	- 18.01.2023
8	जैविकी	- 19.01.2023
9	वनस्पतिशास्त्र	- 19.01.2023
10	प्राणीशास्त्र	- 19.01.2023
11	बायोकेमेस्ट्री	- 19.01.2023
12	माइक्रोबायोलॉजी	- 19.01.2023
13	मानवविज्ञान	- 21.02.2023
[3]	कला संकाय -	
14	दर्शनशास्त्र	- 16.01.2023
15	ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान	- 17.01.2023
16	संस्कृत	- 03.02.2023
17	प्राच्य संस्कृत	- 03.02.2023
18	हिन्दी	- 13.02.2023
19	अंग्रेजी	- 08.02.2023
20	भाषाविज्ञान	- 24.01.2023
[4]	सामाजिक विज्ञान संकाय -	
21	राजनीति विज्ञान	- 10.02.2023
22	इतिहास	- 24.01.2023
23	अर्थशास्त्र	- 25.01.2023
24	प्रा.भा.इति.	- 25.01.2023
25	समाजशास्त्र	- 25.01.2023
26	मनोविज्ञान	- 30.01.2023
27	भूगोल	- 31.01.2023

[5]	विधि संकाय –		
28	विधि	–	17.01.2023
[6]	शारीरिक शिक्षा संकाय –		
29	शारीरिक शिक्षा	–	14.02.2023
[7]	प्रबंध संकाय –		
30	प्रबंधन	–	27.01.2023
[8]	गृह-विज्ञान संकाय –		
31	गृहविज्ञान	–	27.01.2023
[9]	शिक्षा संकाय –		
32	शिक्षा	–	31.01.2023
[10]	इंफर्मेसन टेक्नालॉजी संकाय –		
33	संगणक विज्ञान	–	07.02.2023
[11]	टेक्नालॉजी संकाय –		
34	फार्मसी	–	03.03.2023
[12]	वाणिज्य संकाय –		
35	वाणिज्य	–	02.02.2023

निर्णय: अध्ययन मण्डल की बैठकों के कार्यवृत्त की अनुशंसा की गई।

05. शिक्षा अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 31.01.2023 में अनुमोदित M.Ed. Special Education (I.D.) एवं P.G. Diploma in Early Intervention (PGDEI) पाठ्यक्रम के नवीन अध्यादेश पर विचार करना।

निर्णय: अनुशंसा की गई।

06. शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महा. रायपुर को M.A. I/II Sem. Psychology (20 Seats), M.Sc. Botany I/II Sem (20 Seats) एवं B.Sc.-I Computer Sc. (40 Seats) को निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर सत्र 2023-24 से अस्थायी संबद्धता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुशंसा की गई।

07. दिशा कॉलेज, रामनगर, कोटा मार्ग, रायपुर में संचालित एम.एस-सी. गणित 10 सीट (नवीन विषय) (प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर) की सत्र 2021-22 की अस्थायी संबद्धता को निरस्त करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुशंसा की गई।

08. निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश सत्र 2022-23 के लिए प्रदान करने हेतु प्रकरण स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	शास. नवीन महा. चिरको, जिला-महासमुंद (2020-21)
2	नवीन शास. महाविद्यालय, कंडेल, जिला-धमतरी

निर्णय: उपर्युक्त महाविद्यालयों को अंकित सत्र अनुसार अस्थायी वार्षिक संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

## अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. नवीन संकाय हेतु परिनियम क्रमांक 10 में संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: सभी विषय एवं संकायों का विस्तृत परीक्षण किए जाने की अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।



कुलपति  
अध्यक्ष



प्रभारी कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक : 1492/अका./वि.प.स्थायी समिति/2023  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 06/03/2023

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।



उप-कुलसचिव (अका.)

# कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

3

विषय :- University Examination-Results Automation कार्य हेतु विचार करना।

## (1) प्रथम निविदा -

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के University Examination-Results Automation कार्य हेतु निविदा सूचना No.639/Dev/2022 Raipur, Date 08/12/2022 जारी किया एवं 30 दिवस का समय दिया गया, जिसे निम्नलिखित समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था:-

1. Haribhoomi, Raipur, Date 10/12/2022
2. Naidunia, Bilaspur, Date 10/12/2022
3. Pratahkal, Mumbai, Date 10/12/2022
4. Punjab Kesari, Delhi, Date 10/12/2022

उक्त निविदा में कुल 03 फर्मों द्वारा निविदा प्रस्तुत किया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

1. Kendriya Bhandar, Qtr. No. L-68, Argora Housing Colony, Argora, Ranchi-834002
2. National Co-operative Consumer's Federation of India Ltd., Adarsh Nagar, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand-834008
3. Maharashtra Knowledge Corporation Ltd., Regd. Office : ICC Trade Tower, 'A' Wing, 5<sup>th</sup> Floor, Senapati Bapat Road, Shivajinagar, Pune - 411016 Maharashtra

उपरोक्त फर्मों द्वारा प्रस्तुत सीलबंद लिफाफे को विभागीय कय समिति एवं निविदाकार की उपस्थिति में दिनांक 12/01/2023 को खोला गया। टेक्निकल बीड में National Co-operative Consumer's Federation of India Ltd., Adarsh Nagar, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand को योग्य पाया गया। उक्त कण्डिका क.01 एवं 03 के फर्म को अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण अयोग्य पाया गया।

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार कय नियम अनुसार न्यूनतम तीन पात्र निविदाकारों का होना सुनिश्चित किया गया है। उक्त निविदा में एक फर्म को ही योग्य पाया गया। विभागीय कय समिति द्वारा University Examination-Results Automation हेतु पुनः नियमानुसार निविदा जारी करने हेतु अनुशंसा किया गया।

## (2) द्वितीय निविदा -

पुनः निविदा जमा करने हेतु 20 दिवस का समय दिया गया एवं द्वितीय निविदा सूचना क.50/Dev/2023 Raipur, Date 13/01/2023 जारी किया गया, जिसे निम्नलिखित समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था:-

1. Dainik Bhaskar, Bilaspur, Date 17/01/2023
2. Millennium Post, New Delhi, Date 17/01/2023
3. Navbharat, Raipur, Date 17/01/2023
4. Navbharat, Mumbai, Date 17/01/2023

निविदा में 03 फर्मों द्वारा निविदा प्रस्तुत किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

1. Kendriya Bhandar, Qtr. No. L-68, Argora Housing Colony, Argora, Ranchi

3-3-2023

AR (28/1/2023)

- 2. National Co-operative Consumer's Federation of India Ltd., Adarsh Nagar, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand
- 3. ITI Ltd., Regional Office No.22, IInd Floor, Chittaranjan Avenue, Kolkata

उपरोक्त फर्मों द्वारा प्रस्तुत सीलबंद लिफाफे को विभागीय क्रय समिति एवं निविदाकार की उपस्थिति में दिनांक 06/02/2023 को खोला गया। टेक्निकल बीड में कण्डिका क.03 में दर्शित फर्म ITI Ltd., Regional Office No.22, IInd Floor, Chittaranjan Avenue, Kolkata के द्वारा वि.वि. द्वारा जारी निविदा में निहित शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण समिति द्वारा टेक्निकल बीड में अयोग्य पाया गया।

निम्नलिखित फर्मों को टेक्निकल बीड में योग्य पाये जाने के पश्चात् फायनेंसियल बीड को खोला गया :-

- 1. Kendriya Bhandar, Qtr. No. L-68, Argora Housing Colony, Argora, Ranchi
- 2. National Co-operative Consumer's Federation of India Ltd., Adarsh Nagar, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand

फायनेंसियल बीड में National Co-operative Consumer's Federation of India Ltd., Adarsh Nagar, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand का दर Total Price Per Student Rs.430.00 (Four Hundred Thirty Rupees)+GST as Applicable व्यय होगा को न्यूनतम दर प्रस्तुत करने के कारण समिति द्वारा उक्त फर्म से कार्य लिये जाने हेतु अनुशंसा किया गया है।

**(3) University Examination-Results Automation** के संबंध में DPC एवं CPC के अनुशंसा उपरांत कुलपति महोदय के निर्देशानुसार Negotiation हेतु विश्वविद्यालय अधिसूचना क.166/विकास/2023 रायपुर, दिनांक 21/02/2023 द्वारा समिति गठित किया गया है। समिति एवं संबंधित L1 फर्म भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकार संघ मर्यादित, आदर्श नगर, कांके रोड, रांची (NCCF) की ओर से अधिकृत श्री धीरज कुमार के साथ दिनांक 01/03/2023 को कुलसचिव कार्यालय में Negotiation हेतु बैठक आयोजित की गई। Negotiation हेतु निम्नलिखित बिन्दु निर्धारित किया गया-

- 1. फर्म द्वारा प्रस्तुत दर कम किया जाना।
- 2. फर्म द्वारा प्रस्तुत दर पर अन्य कार्य भी लिया जाना।
- 3. फर्म द्वारा प्रस्तुत दर कम किया जाना एवं अन्य कार्य भी लिया जाना।

A. दोनो पक्ष बिन्दु क्रमांक 3 पर सहमत हुये।

- 1. विश्वविद्यालय Complete work related to pre & post exam through scanning and image processing method along with supply of barcoded OMR answer sheet as per specification in tender document हेतु फर्म द्वारा रु.430.00 (अक्षरी चार सौ तीस रुपये) Per student per academic year के स्थान पर रु.421.00 (अक्षरी चार सौ इक्कीस रुपये) Per student per academic year किया गया।

B. निविदा में उल्लेखित कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य किये जाने पर सहमत हुई।

1. भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकार संघ मर्यादित, आदर्श नगर, कांके रोड, रांची के द्वारा निविदा शर्तों एवं कार्यों के अलावा विश्वविद्यालय अकादमिक एवं वित्त विभाग के कार्यों का **Automation** एक वर्ष के भीतर, अति विशेष परिस्थिति में तीन माह अतिरिक्त समय देते हुए पूर्ण किया जाएगा।
2. विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार अंतर्गत स्थापित स्वशासी महाविद्यालय के प्रवेश संबंधी कार्य अतिरिक्त किया जाएगा।
3. विश्वविद्यालय के प्रायोगिक परीक्षा हेतु बिना OMR युक्त आठ पेज की उत्तर पुस्तिका आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाएगा।

अतः **University Examination-Results Automation** संबंधी कार्य हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

llg  
3-3-2023

AR (Dev.)  
03/03/23